

नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

काठमाडौं, फागुन १८ गते २०३८ साल

श्री ५ को सरकार
उद्योग मन्त्रालयको
सूचना

श्री ५ को सरकारले नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) ऐन, २०३७ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कुनै पदार्थ वा प्रक्रियाको सम्बन्धमा गुणस्तर निर्धारण गर्न र त्यस्तो पदार्थमा प्रमाण-चिन्हको प्रयोगको व्यवस्था गर्न देहायबमोजिम अध्यक्ष र सदस्य भएको नेपाल गुणस्तर परिषद्को गठन गरेकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

- | | | |
|-----|--|------------|
| (क) | श्री ५ को सरकारद्वारा मनोनीत व्यक्ति- | अध्यक्ष |
| (ख) | राष्ट्रिय पञ्चायतको सम्बन्धित समितिको प्रतिनिधि- | सदस्य |
| (ग) | सह-सचिव वा सो सरह उद्योग मन्त्रालय- | " |
| (घ) | " " अर्थ मन्त्रालय- | " |
| (ङ) | " " कृषि मन्त्रालय- | " |
| (च) | " " गृह मन्त्रालय- | " |
| (छ) | " " स्वास्थ्य मन्त्रालय- | " |
| (ज) | " " निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय- | " |
| (झ) | " " वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय- | " |
| (ञ) | प्रतिनिधि त्रिभुवन विश्वविद्यालय- | " |
| (ट) | " नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ- | " |
| (ठ) | निर्देशक नेपाल गुणस्तर कार्यालय- | सदस्य-सचिव |

आज्ञाले-

सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ

(३)

श्री ५ को सरकारको सचिव

आधिकारिकता मुद्रा १ वमोमबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागाबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।